भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3458
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 / 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ प्रशासन

†3458. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 फरवरी, 2023 को हिस्से-वार संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का 10-1-2023 का निर्णय केवल एकल इकाइयों को कई अपार्टमेंटों में परिवर्तित करने और कतिपय सह-स्वामी समझौतों को पंजीकृत करने पर प्रतिबंध लगाता है;

(ख) क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हिस्से-वार सम्पत्ति की बिक्री पर स्पष्ट रुप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि चंडीगढ़ के कई निवासी जिनके पास संपत्ति का हिस्सा है, वे सह-स्वामियों के अलावा किसी और को अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, जिससे उनकी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन हो जाता है और चिकित्सा उपचार या पारिवारिक कार्यक्रमों जैसी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 फरवरी 2023 की अधिसूचना को रद्द क्यों नहीं किया है अथवा 10 जनवरी 2023 के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय से इस बात का स्पष्टीकरण क्यों मांगा है कि क्या 10 जनवरी, 2023 का निर्णय हिस्सेवार सम्पीति ब्रिक्री पर प्रतिबंध लगाता है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): प्रश्न से संबंधित विषय "प्रदीप शर्मा बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और अन्य नामक सिविल रिट याचिका संख्या 2024 का 5102" में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णयाधीन है।

******